

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर।

क्रमांक / 2023 / स्थापना / 2967 - 77

दिनांक 27/04/2023

// आदेश //

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में लैबोरेटरी सहायक/लैब असिस्टेंट (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 19500-62000 (एल-4) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23571276	रामसिया सगर पिता स्वर्गीय श्री भोगी राम सगर पता- 78-बी, आदित्यपुरम ग्वालियर म.प्र.	SC	63.15
2	23591453	शीरीन अली पत्नी श्री अब्दुल नाजिद पता- युनादत के पास श्री मेडिकल के बाजू में लाजपतपुरा वार्ड जिला सागर म.प्र.	OBC	63.15
3	23571659	मोना जैन पिता श्री वीरेन्द्र जैन पता नक्काशा नं 2 जवाहर सिंह की पायेगा नई सड़क ग्वालियर म.प्र.	UR	62.1

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

01. यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विनागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि/चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(डॉ० महेश कुमार शर्मा)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ.क्रमांक/2023/स्थापना/2967-77

दिनांक 27/04/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- विशेष सहायक मानव संसाधन मंत्री जी म0प्र0 शासन आयुष विभाग भोपाल।

2- प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।

- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष म0प्र0 भोपाल।
- 4- सभागायुक्त, सभाग..... एवं अध्यक्ष, स्वशांसी कार्यकारिणी समिति।
- 5- जिला कोषालय अधिकारी.....।
- 6- संबंधित श्री / श्रीमती / सुश्री
- 7- व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर।

क्रमांक / 2023 / स्थापना / 2985-51

दिनांक 27/04/2023

// आदेश //


मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थी को महाविद्यालय में पंचकर्म टेक्नीशियन (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 25300-80500 (एल-6) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम / पिता का नाम / निवास स्थान	वर्ग/संदर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23568761	सूर्यकांत त्रिवेदी पिता श्री शशिभूषण त्रिवेदी पता- ग्राम व पोस्ट मोहारीकला तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी 473585	UR	57

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

01. यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
13. परीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।


(डॉ० महेश कुमार शर्मा)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ. क्रमांक/2023/स्थापना/2985-91

दिनांक 27/06/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ /पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- विशेष सहायक, मानव मंत्री जी म0प्र0 शासन आयुष विभाग भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष म0प्र0 भोपाल।
- 4- सभागायुक्त, सभाग..... एव अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
- 5- जिला कोषालय अधिकारी.....।

- 6- संबंधित श्री / श्रीमती / सुश्री।
7- व्यक्तिगत नस्ती हेतु।


प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर।

क्रमांक/2023/स्थापना/2953-66

दिनांक: 27/04/2023

//आदेश//

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में पंचकर्म सहायक (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 19500-62000 (एल-4) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23568609	शालिनी सिसोदिया पति देवज्ञ सिसोदिया निवासी-112, पटेल कॉलोनी दतिया म०प्र०-475661	UR	52
2	23568625	राहुल तिवारी पिता श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, निवासी-बामौरकला तहसील खनियाघना जिला शिवपुरी म०प्र०	UR	52
3	23568643	प्रियंका कुशवाहा पिता श्री राजेश कुशवाहा निवासी- वार्ड नं. 2 गणेश घाट दतिया म०प्र०	OBC	49.35
4	23568618	वीना बागरी पिता विशन स्वरूप बागरी निवासी-म.नं.-9B एम.एच.रोड तिकोनिया मुरार ग्वालियर म०प्र०	SC	48

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

01. यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रुपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाए-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के

- सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
 10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
 11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
 13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा शर्तें) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
 14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
 15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
 16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
 17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
 18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(डॉ० महेश कुमार शर्मा)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ.क्रमांक / 2023 / स्थापना / 2353-68

दिनांक 27/04/2023

प्रतिलिपि- सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- विशेष सहायक, मान0 मंत्री जी म0प्र0 शासन आयुष विभाग भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष म0प्र0 भोपाल।
- 4- संभागायुक्त, संभाग..... एवं अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
- 5- जिला कोषालय अधिकारी.....।
- 6- संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री
- 7- व्यक्तिगत नस्ती हेतु।


प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर।

क्रमांक / 2023 / स्थापना / 2893-2926

दिनांक 27/04/2023

// आदेश //

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में स्टाफ नर्स (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 28700-91300 (एल-7) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23570666	रश्मि कुमारी पिता श्री शिवराम सिंह, पता- ए 23 आरोग्य धाम हॉस्पिटल के पीछे, अपना स्कूल के पास महलगांव सिटी सेन्टर जिला ग्वालियर म०प्र०	UR	61.79
2	23569511	स्निग्धा मण्डल पिता श्री नीलमनि चक्रवर्ती पता- जे.1052 दर्पण कॉलोनी थाटीपुर ग्वालियर म०प्र०	UR	60.15
3	23569909	प्रियंका अग्रवाल पिता श्री अशोक अग्रवाल पता- सिंघल भवन छोटा बाजार गिर्द ग्वालियर म०प्र०	UR	60.15
4	23569896	गफार खान, पिता सत्तार खान, पता- तारकेश्वरी कॉलोनी जिला शिवपुरी म०प्र०	UR	59.09
5	23569963	गौरव गुप्ता, पिता श्री प्रीतम चंद गुप्ता, पता-वार्ड न. 18 महाशय कॉलोनी हिन्डोन रोड, ओसवाल तेल मिल के सामने, खेरली कदुमर जिला अलवर राजस्थान - 321606	UR	59.09
6	23555851	जावेद हुसैन, पिता श्री अनवर हुसैन, पता- तारकेश्वरी कॉलोनी, वार्ड न. 19 राधाकृष्ण वार्ड शिवपुरी म०प्र०	UR	58.74
7	23570981	मनीष नामदेव पिता श्री लक्ष्मीनारायण नामदेव पता- सदर बाजार मोहना जिला ग्वालियर म०प्र० 475330	OBC	57.35
8	23572772	निकेता जोसेफ पिता इडयिन चाली पता- वार्ड न. 11 मौजीपाडा झाडुआ म.प्र.	ST	57.35
9	23570148	श्वेता ओझा पिता श्री विनय कुमार ओझा पता- ई-2/56 हनुमान नगर गोले का मंदिर ग्वालियर म०प्र०	EWS	55.69
10	23551592	सीमा अहिरवार पिता सुरज सिंह अहिरवार पता-म.नं.-32 सुभाष नगर विदिशा म०प्र०	SC	53.8
11	23555747	रेशू भारती पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती पता-एच नं.68 इंदेल कम्पसा रतनपुर रोड मिसरोद भोपाल म०प्र०	SC	53.8
12	23554781	मोनिका अम्बुलकर पिता श्री श्यामलाल अम्बुलकर पता- मस्जिद मोहल्ला घोडाडोंगरी तहसील घोडाडोंगरी जिला बैतूल म०प्र०	SC	53.8
13	23585258	कोमल परमार पिता श्री राबर्ट परमार पता- 21/सी विनोबा नगर के पास मंगलविहार कॉलोनी रतलाम म०प्र०	ST	53.8
14	23576953	विभा गेट्रियल पिता श्री बर्थलोमी गेट्रियल, पता- एमआईजी 80/2 हथन कॉलोनी जमानी रोड पुरानी ईटारसी तह ईटारसी जिला नर्मदापुरम म०प्र०	ST	53.24

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

01. यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त

विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(डॉ० महेश कुमार शर्मा)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ.क्रमांक/2023/स्थापना/2893-2928

दिनांक 22/06/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- विशेष सहायक, मान० मंत्री जी म०प्र० शासन आयुष विभाग भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव म०प्र० शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष म०प्र० भोपाल।
- 4- सभागायुक्त, सभाग..... एवं अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
- 5- जिला कोषालय अधिकारी.....।
- 6- संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....।
- 7- व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर।

क्रमांक/2023/स्थापना/2927-52

दिनांक: 27/06/2023

// आदेश //

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में लैब टेक्नीशियन (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 25300-80500 (एल-6) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	रोल न०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23571434	माखनलाल प्रजापति पिता श्री हरिभजन प्रजापति निवासी-ग्राम हटीपुरा पो.पचेखा, तह. कैलारस जिला मुरैना म०प्र०	UR	70.52
2	23571531	ध्यानेन्द्र कमरिया पिता श्री राजेन्द्र कमरिया निवासी- बासोडी भितरवार बासोडी ग्वालियर म०प्र० 475220	UR	66.31
3	23560313	राजेन्द्र पाटीदार श्री बदराल पाटीदार निवासी-12 ए भवानीपूर कॉलोनी अन्नपूर्णा रोड इन्दौर म०प्र०	OBC	64.21
4	23561764	तुलसी राम वर्मा पिता श्री सुभाष वर्मा, निवासी- 143 नेमावर रोड चिन्तावद इन्दौर म०प्र०	SC	64.21
5	23571216	उर्मिला किरार पिता श्री अजमेर सिंह निवासी किरार भवन कुटीयाना मोहल्ला गोषपुरा नं.-1 ग्वालियर म०प्र०	OBC	64.21
6	23582889	योगेश तिवारी पिता श्री सहसराम तिवारी निवासी-वार्ड नं. -02 इदगाह रोड अमरवाडा जिला छिन्दवाडा म०प्र०	EWS	63.15
7	23594847	अर्चना निगम पति श्री अशोक निगम निवासी-राधे चैरिटेबिल हस्पिटल 89 ईटावा उज्जैन रोड देवास म०प्र०	UR	63.15
8	23560290	सालू चौहान पिता श्री ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान निवासी-एल.आई. जी 134 कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल म०प्र०	UR	63.15
9	23595009	रेखा डोडिया पिता श्री ईश्वर सिंह डोडिया निवासी-मं.न. -312 पोस्ट आगर वार्ड-13 अयोध्या बरती आगर जिला शाजापुर म०प्र०	UR	63.15


उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

- यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टापपेंड के रूप में देय होगी।
- उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
- कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या मविध्य में कमी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उद्भूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रुपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाए-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने परशात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के परशात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके परशात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।



17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।


(डॉ० महेश कुमार शर्मा)
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

- पृ.क्रमांक / 2023 / स्थापना / 2927-52 दिनांक 27/04/2023
- प्रतिलिपि— सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 1- विशेष सहायक, मान० मंत्री जी म०प्र० शासन आयुष विभाग भोपाल।
 - 2- प्रमुख सचिव म०प्र० शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
 - 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष म०प्र० भोपाल।
 - 4- सभागायुक्त, सभाग..... एवं अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
 - 5- जिला कोषालय अधिकारी.....।
 - 6- संबंधित श्री / श्रीमती / सुश्री
 - 7- व्यक्तिगत नस्ती हेतु।


प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर।

क्रमांक/2023/स्थापना/2999-3005

दिनांक: 27/04/2023

//आदेश//

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थी को महाविद्यालय में असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 19500-62000 (एल-4) एवं उरा पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23591439	दीपक कुमार कोरी पिता श्री कोमल प्रसाद कोरी पता- ग्राम कृष्णागढ़ तहसील पवई जिला पन्ना MOPRO	SC	67.36

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

- यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
- उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
- कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
- नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
- आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
- नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित सतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(डॉ० महेश कुमार शर्मा)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी


पृ.क्रमांक/2023/स्थापना/2989-3005

दिनांक 22/06/2023

प्रतिलिपि- सूचनार्थ /पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- विशेष सहायक, मान0 मंत्री जी म0प्र0 शासन आयुष विभाग भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष म0प्र0 भोपाल।
- 4- संभागायुक्त, संभाग..... एवं अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
- 5- जिला कोषालय अधिकारी.....।

- 6- संबंधित श्री / श्रीमती / सुश्री ।
7- व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।


प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर।

क्रमांक / 2023 / स्थापना / 2992-98

दिनांक 27/06/2023

// आदेश //


मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में आयुर्वेद कम्पाउण्डर (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 19500-62000 (एल-4) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/सर्वर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23575020	लखन लाल अफीनिया पिता श्री वृन्दावन अफीनिया पता- वार्ड नं. 06 डाबरीपुरा ग्राम पोलाय कला तहसील सुजालपुर भीमपुरा पोलाय शाजापुर म०प्र०	OBC	52.17

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

01. यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रुपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते है, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आदेश का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।



(डॉ० महेश कुमार शर्मा)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ.क्रमांक/2023/स्थापना/2992-98

दिनांक 22.04/2023

प्रतिलिपि- सूचनार्थ /पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- विशेष सहायक, मान0 मंत्री जी म0प्र0 शासन आयुष विभाग भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष म0प्र0 भोपाल।
- 4- संभागायुक्त, संभाग एवं अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
- 5- जिला कौषालय अधिकारी.....।

- 6- संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री
- 7- व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

13/27/2023
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर।

क्रमांक/2023/स्थापना/2978-84

दिनांक 27/04/2023

//आदेश//

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थी को महाविद्यालय में आयुर्वेद फार्मासिस्ट (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 25300-80500 (एल-6) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23562938	श्रीमति ज्योति यादव पति श्री देवेन्द्र सिंह यादव निवासी-वार्ड नं.-25, दुर्गा नगर गिण्ड मोप्रो	OBC	47.82

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

01. यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जायेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(डॉ० महेश कुमार शर्मा)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ.क्रमांक/2023/स्थापना/2978-84

दिनांक: 22/04/2023

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- विशेष सहायक, मानव संसाधन मंत्री जी म0प्र0 शासन आयुष विभाग भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष म0प्र0 भोपाल।
- 4- सभागायुक्त, सभाग..... एवं अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
- 5- जिला कोषालय अधिकारी.....।

- 6- संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री ।
7- व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी